न्यायालय कलेक्टर, जिला रतलाम (म0प्र0)

आरसीएमएस प्रकरण क्रमांक 0023/अ-20(3)/2025-26

:: आदेश::

(म.प्र.नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 अध्याय-2 की कंडिका 16-17 के अन्तर्गत)

(पारित दिनांक 13 जनवरी, 2026)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग रतलाम द्वारा पत्र क्रमांक 1450/कार्य/2025 रतलाम दिनांक 16/07/2025 से अवगत कराया कि म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग 'मंत्रालय' भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-22/02/2016-17/ल.सि./31/1663 दिनांक 24/08/2017 से तहसील बाजना अन्तर्गत मादलिया घाट तालाब योजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजना के निर्माण कार्य में 32.15 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होने से वन विभाग को बदले में समतुल्य राजस्व भूमि हस्तांतरित/आवंटित की जाना है। रतलाम जिले के तहसील पिपलोदा ग्राम कंसेर स्थित सर्वे क्रमांक 118/3 एवं सर्वे क्रमांक 118/4 कुल रकबा 14.22 हेक्टेयर भूमि पूर्व से वन विभाग को आंवटित होने से शेष रकबा 21.93 हेक्टेयर आवंटन हेतु तहसील आलोट पटवारी हल्का नम्बर-0032 खामरिया, ग्राम खामरिया स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 142 रकबा 5.950 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 144 रकबा 3.980 हेक्टेयर एवं 146 रकबा 12.000 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 21.930 हेक्टेयर भूमि चिन्हाकित कर मादलिया घाट तालाब योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए हस्तांतरण किये जाने हेतु चिन्हांकन कर आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर प्रारूप-एक में आवेदन प्रस्तुत किया है।

2- प्रकरण पंजीबद्ध कर म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 24/09/2020 में प्रकाशित) की कंडिका-13(2), 13(3), 13(4) एवं 142 के तहत प्रारूप दो में जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आलोट को भेजा गया। प्रकरण में नायब तहसीलदार टप्पा आलोट ने जांच कर प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि के संबंध में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं।

आवेदित भूमि हस्तांतरण के संबंध में सर्व सम्बंधित विभाग से अभिमत चाहा। उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रतलाम म.प्र. के पत्र क्रमांक-595/नग्रानि/2025 रतलाम दिनांक 20/11/2025 में अनुसार आलोट विकास योजना 2031 में भूमि का उपयोग कृषि निर्दिष्ट है। आलोट विकास योजना 2031 की कंडिका 6.22 की सारणी क्रमांक 6-सा-13 अनुसार कृषि उपयोग के अन्तर्गत विद्यालय/ महाविद्यालय (शैक्षणिक संस्था)/घाट तालाब योजना स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों में मान्य है। आवेदित भूमि आंवटन के संबंध में अनापत्ति का लेख किया है। ग्राम पंचायत खामरिया के पत्र दिनांक 22/12/2025 में प्रस्तावित भूमि के आवंटन में अनापत्ति होने का लेख किया है। राजस्व निरीक्षक/पटवारी के प्रतिवेदन प्रारूप पांच अनुसार तहसील आलोट पटवारी हल्का नम्बर-0032 खामरिया, ग्राम खामरिया स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 142 रकबा 5.950 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 144 रकबा 3.980 हेक्टेयर एवं 146 रकबा 12.000 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 21.930 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आरक्षित/सुरक्षित नहीं हैं। भूमि वाजिब-उल-अर्ज में या निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं हैं, भूमि श्मशान/ कब्रस्तान/ मरघट इत्यादि की नहीं हैं। भूमि पर रास्ता, सडक, पगडंडी मार्ग नही है, भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में नहीं होकर प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण करने के पश्चात् भी चरनोई का रकबा 2 प्रतिशत प्रभावित नहीं होगा। मोका स्थल रिपोर्ट नक्शा प्रकरण में सलंग्न है। नायब तहसीलदार टप्पा आलोट के प्रतिवेदन से सहमत होकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आलोट ने मादलिया घाट तालाब योजना में 32.15 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि के बदले रतलाम जिले के तहसील पिपलोदा ग्राम कंसेर स्थित सर्वे क्रमांक 118/3 एवं सर्वे क्रमांक 118/4 कुल रकबा 14.22 हेक्टेयर भूमि पूर्व से वन विभाग को आंवटित होने से शेष 21.93 हेक्टेयर भूमि तहसील आलोट पटवारी हल्का नम्बर-0032 खामरिया, ग्राम खामरिया स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 142 रकबा 5.950 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 144 रकबा 3.980 हेक्टेयर एवं 146 रकबा 12.000 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 21.930 हेक्टेयर राजस्व भूमि को प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ''म0प्र0 शासन वन विभाग'' को हस्तांतरण करने हेतु अनुशंसा सहित अग्रेषित किया है।

निरंतर.......2

कलेक्टर
जिला-रतलाम (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

आरसीएमएस प्रकरण क्रमांक 0023/अ-20(3)/2025-26

3- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आलोट से प्रकरण प्राप्त होने पर प्रभारी नजूल शाखा रतलाम द्वारा मादलिया घाट तालाब योजना में 32.15 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि के बदले रतलाम जिले के तहसील पिपलोदा ग्राम कंसेर स्थित सर्वे क्रमांक 118/3 एवं सर्वे क्रमांक 118/4 कुल रकबा 14.22 हेक्टेयर भूमि पूर्व से वन विभाग को आंवटित होने से शेष 21.93 हेक्टेयर भूमि तहसील आलोट पटवारी हल्का नम्बर-0032 खामरिया, ग्राम खामरिया स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 142 रकबा 5.950 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 144 रकबा 3.980 हेक्टेयर एवं 146 रकबा 12.000 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 21.930 हेक्टेयर भूमि को प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ''म0प्र0 शासन वन विभाग'' को हस्तांतरित किये जाने हेतु दिनांक 05/01/2026 को नजूल भूमि निर्वतन समिति के समक्ष प्रस्तावित की गई।

4- जिला नजूल भूमि निर्वतन समिति रतलाम द्वारा तहसील बाजना अन्तर्गत मादलिया घाट तालाब योजना में 32.15 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि के बदले रतलाम जिले के तहसील पिपलोदा ग्राम कंसेर स्थित सर्वे क्रमांक 118/3 एवं सर्वे क्रमांक 118/4 कुल रकबा 14.22 हेक्टेयर भूमि पूर्व से वन विभाग को आंवटित होने से शेष 21.93 हेक्टेयर भूमि तहसील आलोट पटवारी हल्का नम्बर-0032 खामरिया, ग्राम खामरिया स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 142 रकबा 5.950 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 144 रकबा 3.980 हेक्टेयर एवं 146 रकबा 12.000 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 21.930 हेक्टेयर भूमि **''म0प्र0 शासन वन विभाग''** को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति कंडिका-14 के तहत प्रदान की गई। कार्रवाई विवरण दिनांक 05/01/2026 की मूलप्रति प्रकरण के संलग्न है।

5- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम के पत्र क्रमांक/26/कार्य/2025 रतलाम दिनांक 12/01/2026 अनुसार मादलिया घाट तालाब योजना में 32.15 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। न्यायालय प्रकरण क्रमांक 49/अ-20(3)/2017-18 आदेश दिनांक 03/08/2018 से तहसील पिपलोदा के ग्राम कंसेर स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 118/4 एवं 118/3 की 14.22 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आंवटित है। रकबा 21.930 हेक्टेयर आवंटन किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, किंतु प्रतिपुरक वृक्षारोपण हेतु 17.930 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होने का लेख करते हुए 21.930 हेक्टेयर के स्थान पर 17.930 हेक्टेयर आवंटन किए जाने पर अनापत्ति प्रस्तुत की है।

अतः जिला नजूल भूमि निर्वतन समिति की स्वीकृति एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम के पत्र क्रमांक/26/कार्य/2025 रतलाम दिनांक 12/01/2026 के आधार पर तहसील बाजना अन्तर्गत मादलिया घाट तालाब योजना में 32.15 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि के बदले रतलाम जिले के तहसील पिपलोदा ग्राम कंसेर स्थित सर्वे क्रमांक 118/3 एवं सर्वे क्रमांक 118/4 कुल रकबा 14.22 हेक्टेयर भूमि पूर्व से वन विभाग को आंवटित होने से शेष 17.930 हेक्टेयर भूमि तहसील आलोट पटवारी हल्का नम्बर-0032 खामरिया, ग्राम खामरिया स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 142 रकबा 5.950 हेक्टेयर एवं 146 रकबा 12.000 हेक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 17.950 हेक्टेयर भूमि को प्रतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा-237 के प्रावधान के तहत वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **''म0प्र0 शासन वन विभाग''** को म0प्र0 नजूल निर्वतन निर्देश 2020 की कंडिका 8(7) एवं कंडिका 17 के तहत बिना कर निर्धारण के निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है-

1. भूमि का उपयोग कंडिका 18 (1) के अंतर्गत 03 वर्ष के भीतर नहीं करने पर भूमि वापस ली जा सकेगी।

2. भूमि जिस प्रयोजन हेतु हस्तांतरण की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग की जायेगी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं की जा सकेगी।

यह आदेश मेरे द्वारा समक्ष में बोलकर टंकित कराया गया और मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

(मिशा सिंह)
कलेक्टर
जिला-रतलाम (म.प्र.)
कलेक्टर
एवं अध्यक्ष जिला नजूल निर्वतन समिति
जिला रतलाम (म.प्र.)

निरंतर.......3

Scanned with OKEN Scanner

आरसीएमएस प्रकरण क्रमांक 0023/अ-20(3)/2025-26

पृ0क्रमांक- 29 /रीडर-1/2026 **रतलाम, दिनांक 13/01/2026**

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख राजस्व/आयुक्त, अरेरा हिल्स राजस्व भवन, भोपाल म0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल।
4. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
5. वनमंडलाधिकारी, जिला रतलाम।
6. प्रभारी, नजूल शाखा कलेक्टोरेट, रतलाम।
7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आलोट की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि का कब्जा सौंपा जाकर पालन प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करे।
8. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ।
9. नायब तहसीलदार टप्पा आलोट की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि आदेशानुसार आवंटित की जाने वाली भूमि का आधिपत्य वनमंडलाधिकारी जिला रतलाम को सीमांकन करवाया जाकर कब्जा सौंपे तथा शासकीय भू-अभिलेख खसरा नक्शे में आदेशानुसार अमल दरामद किया जाकर, खसरा पांच शाला नक्शा ट्रेस जिसमें हस्तांतरित की गई भूमि को लालस्याही से दर्शाया जाकर कब्जा रसीद सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

कलेक्टर

एवं अध्यक्ष जिला नजूल निर्वतन समिति

जिला रतलाम (म.प्र.)

कलेक्टर
जिला रतलाम (म.प्र.)

F:\D-M-\BM 2021\Bhumi Avantan\Order\BHUMI AAVANTAN 20(3)_A4 युनीकोड.docx

Scanned with OKEN Scanner